

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
जनपद न्यायालय, मेरठ।

महोदय,

आज दिनांक—06.03.2021 को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में स्थित दुकानों की वित्तीय वर्ष 2021–22 में निर्धारित वस्तुओं के दुकानों के स्थान की नीलामी के सम्बंध में माननीय जनपद न्यायाधीश, मेरठ के द्वारा गठित समिति की बैठक समिति अध्यक्ष, अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष सं०-०१ के विश्राम कक्ष में सम्पन्न हुई। जनपद न्यायालय परिसर में स्थित दुकानों के वार्षिक ठेकों के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं०-२८/एए दिनांकित—१७ मार्च १९५८, परिपत्र संख्या—१६३/एए दिनांकित ८ नवम्बर, १९७४ एवं परिपत्र संख्या—७९७/एडमिन(बी—१) सेक्शन दिनांकित—१५ मार्च, १९९४ पर विचार किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार जारी किए गये उक्त परिपत्रों के अनुसार सिविल कोर्ट कम्पाउंड में स्थित दुकानों के ठेकें नीलामी के द्वारा दिये जाने तथा परिसर में स्थित दुकानों के ठेके नीलामी प्रक्रिया द्वारा वार्षिक आधार पर उच्चतम् बोली दाता के पक्ष में दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि जनपद एवं सत्र न्यायालय में स्थित विभिन्न दुकानों के ठेके की वित्तीय वर्ष २०२१–२०२२ अर्थात् दिनांक ०१.०४.२०२१ से ३१.०३.२०२२ तक कि लिए निर्धारित वस्तुओं के विक्रय हेतु दुकानों के आवंटन की कार्यवाही खुली नीलामी के द्वारा नियमानुसार सम्पादित की जाये।

उक्त क्रम में समिति द्वारा वित्तीय वर्ष २०१८–२०१९ में सम्पादित हुई नीलाम प्रक्रिया की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। जिससे यह भी विदित हुआ कि वित्तीय वर्ष २०१८–२०१९ में केवल ३० दुकानों को ही नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया था। दुकान सं० ३० लगायत ३४ को ए०डी०आर० भवन के निर्माण के सापेक्ष नीलाम प्रक्रिया से बाहर किया गया था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि निकट भविष्य में ए०डी०आर० भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, को दृष्टिगत रखते हुए समिति सर्वसम्मति से यह भी राय व्यक्त करती है कि दुकान संख्या—३० लगायत ३४ को गत वर्ष की भाँति वित्तीय वर्ष २०२१–२०२२ में नीलाम प्रक्रिया से यदि श्रीमान् जी उचित समझे तो बाहर किया जा सकता है तथा उक्त प्रक्रिया दिनांक—२०.०३.२०२१ को सम्पादित करायी जा सकती है।

समिति के द्वारा नीलामी की कार्यवाही के सम्बंध में नियम व शर्तें निश्चित की गयी। नीलामी की सूचना अधिकतम् लाभ तथा प्रसार हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित कराये जाने तथा सूचना, नियम व शर्तें जनपद एवं सत्र न्यायालय के नोटिस बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट के नोटिस बोर्ड व अन्य विभागों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाइट पर प्रसारित करने का निर्णय लिया गया। समिति के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यवाही की शर्तें व रिपोर्ट माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित हैं।

(हरबंश नारायण)  
सदस्य/नीलामी समिति/  
जिला एंव सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय सं०-१८, मेरठ।

(प्रभु नारायण पाण्डेय)  
सदस्य/नीलामी समिति/  
जिला एंव सत्र न्यायाधीश/  
प्रष्टाचार निवारण अधिनियम,  
न्यायालय सं०-०२, मेरठ।

(मुहम्मद अशरफ अन्सारी)  
अध्यक्ष/नीलामी समिति/  
जिला एंव सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय सं०-०१, मेरठ।

Perused & Approved  
08/03/2022

DISTRICT JUDGE  
MEERUT

## नीलामी की शर्तें

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021–2022 के लिये चाय, हलवाई, चाटफल आदि व फोटो स्टेट आदि के स्थान की नीलामी दिनांक 20–03–2021 को प्रातः 10:30 बजे जिला एवम् सत्र न्यायालय परिसर में स्थित चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में होगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तारीख, समय तथा स्थान पर नीलामी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। नीलामी के नियम तथा शर्तें इस प्रकार हैं—

1. पिछले वर्ष के बकायादार को नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को 20 प्रतिशत सिक्योरिटी धनराशि जमा करनी होगी जोकि पिछले वर्ष 2020–2021 के ठेके की धनराशि की 20 प्रतिशत होगी।
3. बोली जिसके नाम छूटेगी उसे तत्काल ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी, और उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्रों की अपेक्षानुसार एग्रीमेन्ट अपने व्यय पर निष्पादित करना होगा।
4. अधिक बोली दाता के पक्ष में ठेका छूटने पर यदि उसके द्वारा तत्काल सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती तो नीलामी समिति स्वविवेकानुसार अधिकतम् बोली के उपरान्त भी बोली बोलने वाले के पक्ष में बोली स्वीकृत कर सकती है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा बोली गयी बोली की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।
5. यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी गयी अथवा नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गई उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नहीं की गई तो उसकी सिक्योरटी-मनी जब्त कर ली जायेगी।
6. सभी वर्तमान विक्रेतागण को नीलामी की शर्तों के अनुरूप बोली में भाग लेने का अधिकार रहेगा।
7. किसी ठेकेदार को स्थाई प्रकृति का निर्माण अथवा अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा तथा देय दुकान उसकी ओर से अन्य किसी को किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा।
8. नीलामी में दुकान प्राप्त करने वाले बोलीदाता को निर्धारित स्थान से अतिक्रमण करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
9. ठेकेदार को दुकान के आस-पास सफाई की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी तथा गंदगी पाये जाने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
10. पान के ठेकेदार तम्बाकू सिगरेट, बीड़ी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेचेंगे इस सम्बन्ध में उन्हें एक अन्डरटेकिंग देनी होगी।
11. ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिकी करेंगे वह खाद्य अपमिश्रित एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा।
12. खाद्य वस्तुओं का विक्रय करने वाले दुकानदार वैध कनेक्शन द्वारा एल० पी० जी० गैस का प्रयोग करेंगे और किसी तरह का प्रदूषण नहीं करेंगे तथा अग्नि शमन यंत्र उपलब्ध रखेंगे।
13. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नहीं किया जायेगा और ना ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा क्रिया कलाप में संलिप्त रहेगा।
14. ठेका शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के जमा धनराशि जब्त करते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा ठेकेदार/दुकानदार को

✓

✓

- अविलम्ब दुकान खाली करके कब्जा वापिस करना होगा अन्यथा दुकानदार/ठेकेदार के खर्च पर खाली कराकर कब्जा लिया जावेगा और दुकान पुनः नीलामी/आवंटन योग्य होगा।
15. दुकानदार विक्रय की जाने वाली वस्तु की सूची व मूल्य प्रदर्शित करेंगे तथा खुले व कटे खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करेंगे।
  16. अपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा यदि इस तथ्य को छिपाये जाने पर किसी व्यक्ति का ठेका यदि स्वीकृत हो जाता है, तब उसकी जानकारी होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
  17. ठेके की बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा एवं माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
  18. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दुकानदार को दुकान खाली कर कब्जा देना होगा अन्यथा वह प्रत्येक अतिरिक्त दिवस हेतु नीलामी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने का दायी होगा व इसके अतिरिक्त भी वह विधि अनुसार बेदखल होने का पात्र होगा।
  19. कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार के गत्ते/प्लास्टिक के ग्लास एवं बर्टनों का प्रयोग नहीं करेगा एवं स्वच्छता का ध्यान रखेगा।
  20. नीलामी प्रक्रिया में दुकान का ठेका स्वीकृत हो जाने पर बोलीदाता को ठेका राशि की 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान तुरन्त करना होगा तथा शेष धनराशि का भुगतान 7 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अन्यथा की स्थिति में ठेका निरस्त कर जमानत की जमा धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।
  21. सभी दुकानदारों को अपने नाम से विधिक रूप से विद्युत कनेक्शन लेना होगा। जिसका उन्हें नियमित मासिक भुगतान करना होगा। भुगतान के सम्बंध में सूचना यथा समय नजारत अनुभाग में देनी होगी।
  22. किसी भी दुकानदार द्वारा अपनी दुकान के आगे वाहन इत्यादि को खड़ा नहीं कराया जायेगा।
  23. किसी भी दुकानदार द्वारा दुकानों में अनावश्यक रूप से तोड़फोड़ नहीं की जायेगी।
  24. समस्त दुकानदार को विड-19 के दिशा-निर्देशों का कठोरता से पालन करेंगे।

(हरबंश नीलामी समिति/  
सदस्य, नीलामी समिति/  
अपर जिला न्यायाधीश,  
न्यायालय सं0-18, मेरठ

(प्रभु नारायण पाण्डेय)  
सदस्य, नीलामी समिति/  
विशेष न्यायाधीश,  
(ए०सी० एक्ट), न्या०सं0-2, मेरठ

(मुहम्मद अशरफ अंसारी)  
अध्यक्ष, नीलामी समिति/  
अपर जिला न्यायाधीश,  
न्यायालय सं0-01, मेरठ

अमलोनिया एवं अनुमोदित  
08/03/2021

DISTRICT JUDGE  
MEERUT